प्राथमिकता

संख्या : 1506 / 9—आ—5.2000—7ई / 2000

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
3. **आवास आयुक्त,**
   उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग—5 लखनऊ : दिनांक : 17 जून, 2000

विषय :प्राधिकरणों के अधिकारियों / कर्मचारियों को सहकारी आवास समितियों को भूखण्डों के आवंटन में पारदर्शिता लाये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों / अभियन्ताओं ने अपनी निजी आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हेतु सहकारी आवास समितियाँ बनाई हैं तथा उनके द्वारा प्राधिकरणों से भूमि आवंटन का अनुरोध किया जाता है। ऐसे मामलों में आवंटन होने पर अनियमितता के आरोप लग जाना स्वाभाविक होता है, जिनसे शासन की छवि भी प्रभावित होती है।

2. अतः श्री राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण अधिकारियों / कर्मचारियों की समिति को भूखण्डों के आवंटन में पारदर्शिता तथा जनता में प्राधिकरण की साख को बनाये रखने के लिये यह व्यवस्था प्राविधानित करने का आदेश देते हैं कि प्राधिकरण के कार्मिकों द्वारा निर्मित किसी भी सहकारी आवास समिति को प्राधिकरण की भूमि आवंटित करने के प्राधिकरण के बोर्ड के किसी भी प्रस्ताव व निर्णय पर शासन की पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। शासन के अनुमोदनोपरान्त ही प्राधिकरण के बोर्ड का प्रस्ताव निर्णय विधिमान्य होगा। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। यही व्यवस्था उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद में भी लागू होगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।